संख्याः 591/18(1)/2005

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उत्तरांचल शासन।

राजस्व विभाग

देहरादूनः दिनांकः 21 अक्टूबर, 2005

विषयः–देहरादून में चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु कुल 4.045 है0 भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या–1505/12ए–21/2002–05/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 24 अगस्त, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम झाझरा की भूमि खसरा नम्बर–1197क रकबा 0.540 है0, खसरा नम्बर–1167घ रकबा 0.348 है0, 1175ख मि. रकबा 2.357 है0, 1176ख रकबा 0.700 है0 व 1177क रकबा 0.100 है0 अर्थात कुल रकबा 4.045 है0 भूमि को वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–260/वि0अनु0–3/2002 दिनांक 15 फरवरी, 2002 के क्रम में परिवहन विभाग, उत्तरांचल शासन को निम्नलिखित शर्तों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

...(2)

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की गई है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गई है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

2– कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– एन0आई0सी0 उत्तरांचल, देहरादून।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।